भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5292

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के तहत कृषि फीडरों का सौरकरण</u>

5292. श्री आलोक शर्माः
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री मनीष जायसवालः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्रीमती संजना जाटवः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री नव चरण माझीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री हरीभाई पटेलः
श्री रोडमल नागरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक-ग फीडर स्तर सौरकरण (एफएलएस) के अंतर्गत आज की तारीख तक सौर ऊर्जा युक्त कृषि फीडरों की कुल संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप राजस्थान सहित देश में विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में किसानों को उपलब्ध दिन के समय बिजली की आपूर्ति के औसत घंटों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) पीएम-कुसुम 2.0 को अंगीकृत किए जाने की स्थिति क्या है और रात के समय सिंचाई सहायता के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को शामिल करने के लिए वित्तपोषण में प्रस्तावित 45 प्रतिशत की वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) 34.8 गीगावॉट विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है और राजस्थान सहित राज्य-वार विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में उच्च तकनीकी

और वाणिज्यिक हानियों और कार्यान्वयन चुनौतियों वाले राज्यों में कम वृद्धि से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) फीडर सौरकरण के अंतर्गत कितनी क्षमता संस्थापित और चालू की गई है और डिस्कॉम के राजसहायता भार और तकनीकी हानियों में कमी लाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम एक मांग संचालित योजना है और क्षमताओं का आवंटन राज्य द्वारा रखी गई मांग और हासिल किए गए लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जिला-वार आबंटन नहीं किया जाता है। लाभार्थी चयन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) की है।

एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान सहित सभी राज्यों में घटक सी-फीडर लेवल सौरीकरण (एफएलएस) के तहत प्रगति और सौरीकृत फीडरों की संख्या **अनुलग्नक-I** में रखी गई है।

एफएलएस को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, राज्यों ने किसानों को रात्रि के समय दी जाने वाली विद्युत की आपूर्ति को दिन के समय (7 से 8 घंटे के लिए) स्थानांतरित करने की जानकारी दी है। राजस्थान राज्य ने फीडर लेवल सोलराइजेशन के कारण 3 से 4 ब्लॉक घंटे की आपूर्ति को 2 ब्लॉक घंटे की आपूर्ति में स्थानांतरित करने की सूचना दी है।

(ख) मंत्रालय एक नई योजना, पीएम कुसुम 2.0 तैयार कर रहा है, जो विचाराधीन है।

(ग) पीएम-कुसुम योजना के सभी तीन घटकों का संयुक्त लक्ष्य 34.8 गीगावॉट अतिरिक्त सौर क्षमता को जोड़ना है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 12,164 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। पीएम-कुसुम योजना के तहत भरतपुर सहित घटक-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

राज्यों में प्रभावी कार्यान्वयन और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्यों के साथ समय-समय पर समीक्षा और मार्गदर्शन बैठकें आयोजित करता है। इसमें पूरे देश में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और जन जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिनमें से नवीनतम हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं (मुंबई, जयपुर, विशाखापत्तनम, गुवाहाटी)
- फरवरी 2025 के दौरान बैंकर्स कॉन्क्लेव 2025
- सितंबर 2025 के दौरान राज्यों के साथ समीक्षा बैठक
- सेवा पर्व में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं (17 सितंबर - 2 अक्टूबर 2025)

- देश में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम।
- राज्यों/डिस्कॉम सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।

राजस्थान की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) की सूचना के अनुसार, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक क के अंतर्गत 3 मेगावाट, घटक ख के अंतर्गत 1.501 मेगावाट क्षमता के 286 सोलर पंप, और घटक ग (FLS) के अंतर्गत 4.61 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 5 फीडरों और 666 ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सौरीकरण किया गया है।

(घ) घटक ग (फीडर स्तर सौरीकरण) के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में विवरण पहले ही **अनुलग्नक-I** में दी जा चुकी है।

राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में फ़ीडर-स्तरीय सौरीकरण लागू करके विद्युत खरीद की लागत में कमी, ऊर्जा की प्रति यूनिट आपूर्ति लागत में कमी, ऊर्जा की हानि में कमी और डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'पीएम-कुसुम के तहत कृषि फीडरों का सौरकरण' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5292 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम कुसुम योजना के तहत घटक ग (एफएलएस) और फीडरों के सौरीकरण की प्रगति

(दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**घटक-ग (एफएलएस)**			
		स्वीकृत पंपों की संख्या	**सौरीकृत पंपों की संख्या**	**स्थापित क्षमता**	**सौरीकृत फीडरों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	2,93,587	0	0.00	0
2.	बिहार	1,40,300	0	0.00	0
3.	छत्तीसगढ	10,523	0	0.00	0
4.	गोवा	11,000	700	1.00	1
5.	गुजरात	4,67,114	2,55,245	605.98	1,159
6.	हरियाणा	2,899	0	0.00	0
7.	कर्नाटक	7,63,588	86,827	325.69	1,851
8.	केरल	22,368	10,964	5.50	32
9.	मध्य प्रदेश	2,52,000	46,811	161.20	121
10.	महाराष्ट्र	7,75,000	7,75,000	2,847.30	2,233
11.	ओडिशा	5,223	0	0.00	0
12.	पंजाब	0	0	0.00	0
13.	**राजस्थान**	**4,00,000**	**1,65,520**	**2,685.93**	**3,570**
14.	तेलंगाना	0	0	0.00	0
15.	त्रिपुरा	0	0	0.00	0
16.	उत्तर प्रदेश	3,70,000	825	4.30	4
17.	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0
कुल		**35,13,602**	**13,41,892**	**6,636.90**	**8,971**

अनुलग्नक-I

'पीएम-कुसुम के तहत कृषि फीडरों का सौरकरण' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5292 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम कुसुम के तहत प्रगति (दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं	राज्य का नाम	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)				
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (IPS)	स्थापित (IPS)	स्वीकृत (FLS)	स्थापित (FLS)	स्थापित (कुल)
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	699	0	0	0	0	0
2	असम	2	0	4000	1066	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ	366	7	0	0	0	0	10523	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	140300	0	0
5	गुजरात	175	0	22792	15558	0	0	467114	255245	255245
6	गोवा	24	4	900	200	0	0	11000	700	700
7	हरियाणा	158	29.21	197655	185582	0	0	2899	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	100	100	1270	1091	0	0	0	0	0
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	5000	4154	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	0	86985	52607	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	0	0	41365	5533	0	0	763588	86827	86827
12	केरल	0	0	8	8	9448	2737	22368	10964	13701
13	लद्दाख	1	0	1400	265	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	1400	75.1	59400	7672	0	0	252000	46811	46811
15	महाराष्ट्र	260	17	575000	512966	0	0	775000	775000	775000
16	मणिपुर	0	0	450	150	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	2735	98	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	1700	40	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	265	244	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	90	0	18441	13229	0	0	5223	0	0
21	पुदुचेरी	0	0	72	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	18048	17879	186	25	0	0	25
23	राजस्थान	5618	597.09	144752	125711	2138	2138	400000	165520	167658
24	तमिलनाडु	3	3	5187	5176	0	0	0	0	0
25	तेलंगाना	1797	6	20000	0	28000	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	5	0	11114	7369	3600	983	0	0	983

27	उत्तर प्रदेश	1	1	107266	67186	12000	6900	370000	825	7725
28	उत्तराखंड	0	0	3685	2379	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	20	4	0	0	4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	293587	0	0
	कुल	**10000**	**839.40**	**1330190**	**1026862**	**55392**	**12787**	**3513602**	**1341892**	**1354679**
